

Need to introduce and pass the Women Reservation Bill in the current Session of Parliament

श्रीमती वृन्दा कारत (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं भी अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय श्री तरलोचन सिंह जी ने जो विचार रखा है, उससे एसोसिएट करते हुए अपना प्रस्ताव रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हाऊस उसी तरह से एकमत होकर इस प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा। मैं शरद पवार जी से अनुरोध करूंगी कि आप नाराज मत होइए।

सर, आज राष्ट्रीय महिला संगठनों की ओर से हजारों की तादाद में औरतें संसद के बाहर आई हैं धरना और प्रदर्शन के लिए। हाऊस को मालूम होगा कि 10 साल पहले श्री देवगौड़ा सरकार के नेतृत्व में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण हो, उसके लिए एक बिल पेश किया गया था। कई बार उस बिल पर संसद के बाहर बहस हुई, लेकिन संसद के अंदर जिस रूप में बहस होनी चाहिए थी, वह बहस नहीं हो पाई और 10 साल बीत गए। इसका परिणाम और नतीजा यह हुआ कि लोक सभा में आज केवल 8 प्रतिशत महिलाएँ ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं और देशभर में 2004 और 2006 में 14 असेम्बली इलेक्शंस हुए और उन असेम्बली इलेक्शंस में जो ऐवरेज निकलकर आता है, उसके अनुसार केवल 6.5 प्रतिशत औरतें अभी उन स्टेट असेम्बलीज़ में हैं। इससे स्पष्ट है कि जब तक इस सदन में पारित होकर एक संवैधानिक मेंडेट नहीं तैयार होता, तब तक जनवादी प्रणाली इसी प्रकार कमजोर रहेगी। मैं समझती हूँ कि बाकी सदस्य भी मेरे साथ सहमत होंगे कि यह केवल महिला या पुरुष का सवाल नहीं है, यह जनवादी प्रणाली का सवाल है।

इसलिए, सर, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ और मांग करती हूँ कि दोनों सदनों में, इसी सत्र में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का बिल, जो 10 साल से पेंडिंग है, उसको लाकर, बहस कराकर और उस बहस में अगर कोई संशोधन लाना चाहे तो वह संशोधन भी लाए, लेकिन उस बिल पर वोटिंग कराकर उसे पारित किया जाए। मैं समझती हूँ कि सदन के तमाम सदस्य, जो महिलाएँ बाहर धरने पर बैठी हैं, उनका साथ देकर इस मांग का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The entire House associates itself.
...(Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, जो विषय अभी वृन्दा जी ने सदन के सामने रखा है, मैं केवल व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि अपने दल के तौर पर अपने आपको उससे संबंधित करते हुए एक बात उसमें जोड़ना चाहती हूँ। वृन्दा जी ने कहा कि श्री देवगौड़ा जी के समय यह बिल आया था, यह सच है। उसके बाद एक JPC बनी थी और JPC बनने के बाद एक सर्वसम्मति बिल वहाँ से आ गया था। लेकिन, मुझे दुख इस बात का है कि श्री देवगौड़ा जी वाला बिल गुजराल साहब के समय भी रहा और जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 में आई तब दोबारा वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ। लोक सभा डिज़ाल्व होने के बाद 1999 में एक बार फिर वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ। मुझे इस बात का गर्व है कि जब मैं संसदीय कार्य मंत्री थी, तो वह बिल दो-दो बार मैंने चर्चा के लिए लगाया। लेकिन, आज दुख इस बात का है कि चर्चा किस पर हो, कोई बिल का प्रारूप ही नहीं है! जो UPA सरकार अपने मनिफेस्टो में यह लिखकर लाई थी कि हम 33 फीसदी आरक्षण देंगे, वह दो साल तक बिल का

ड्राफ्ट भी हमारे सामने रख नहीं पाई है। इसलिए मेरा यह कहना है कि चर्चा किस पर होगी, बहस किस पर होगी? यह क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग पहले संसद के अंदर विरोध करते थे, अब वे कैबिनेट के अंदर विरोध करते हैं और कैबिनेट ही एकमत होकर बिल ला नहीं पा रही। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई प्रारूप तो लाएं। और जो वृंदा जी कह रही हैं कि अगर किसी को कोई ऐडिशन या डिलिशन का कोई अमेंडमेंट देना है, वह दे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वह ऐडिशन या डिलिशन का मौका तो तब आएगा, जब बिल का ड्राफ्ट हमारे सामने होगा। तो जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थी, बिल का ड्राफ्ट था, चर्चा के लिए लगाया जाता था, वहां तो उनकी बात रखी जा सकती थी, आज तो बिल का प्रारूप ही नहीं है। तो हमारी मांग यह है कि पहले ड्राफ्ट बिल लेकर आइए और फिर उस पर चर्चा कराइए।
...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, I want to associate.
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why enter into a controversy when there is unanimity? ... (Interruptions)...

श्री सीताराम येचुरी : मैं यही बात करना चाहता हूँ ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले आप बिल लाइए ... (व्यवधान)... कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ कर पहले आप बिल लाइए ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए ... (व्यवधान)... नहीं, आपने कह दिया है, आप बैठिए ... (व्यवधान)... बैठिए, बैठिए ... (व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी : मैं कह रहा हूँ कि आपके वाला बिल ही लाया जाए जो वाजपेयी सरकार में था ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं बैठिए, बैठिए, आपने अपनी बात कह दी है... (व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी : सर, मेरा निवेदन यह है कि हम इसके अन्दर तू-तू, मैं-मैं में न जाएं और किसने क्या किया है और क्या नहीं किया है, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आज इस सवाल के ऊपर सभी लोगों ने सर्वसम्मति के साथ ... (व्यवधान)... आज सभी लोगों ने इसे सर्वसम्मति के साथ ऐसोसिएट किया है, इसी सर्वसम्मति के साथ आप वही पुराना वाला बिल ले आइए जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में था ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : नहीं, यह गलत है, यह गलत है ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए, बैठिए ... (व्यवधान)... यह बहुत गलत बात है ... (व्यवधान)...

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): कांग्रेस सरकार में यह विचार हुआ था ... (व्यवधान)... हम याद करते हैं श्री राजीव गांधी जी को, यह उन्हीं की सोच थी कि इस देश में यह विचार आया ... (व्यवधान)... मैं राजीव गांधी जी को ... (व्यवधान)... सर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ... (व्यवधान)... यह श्री राजीव गांधी की देन है कि देश में महिलाओं को आरक्षण

मिले ...**(व्यवधान)**... उसी का परिणाम है कि आज पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है और आज सोनिया गांधी जी का भी यही विचार है ...**(व्यवधान)**... सर, मेरा निवेदन यह है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नहीं-नहीं, नोटिस नहीं है, नोटिस नहीं है ...**(व्यवधान)**... नहीं, नोटिस ऐक्सेप्ट नहीं हुआ है ...**(व्यवधान)**... देखिए, नोटिस ऐक्सेप्ट नहीं हुआ है ...**(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश) : पहले इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नोटिस नहीं है ...**(व्यवधान)**... देखिए, आप ज़रा बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... अमर सिंह जी, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... यह सही तरीका नहीं है ...**(व्यवधान)**... नहीं-नहीं, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... यह सही तरीका नहीं है, यह सही तरीका नहीं है ...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record. ...**(Interruptions)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा ...**(व्यवधान)**... What is this? You cannot show like that. ...**(Interruptions)**... Mr. Jothi, you are a Member who follow the rules. You should follow the rules. You always insist that rules should be followed. But this is ...**(Interruptions)**... Please sit down. ...**(Interruptions)**... Let me understand. आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

SHRI N. JOTHI: We have submitted ...**(Interruptions)**...

श्री उपसभापति : देखिए भई, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप गंभीर हैं, मुझे मालूम है, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... मैं खड़ा हूँ और आप बोल रहे हैं, यह सही नहीं है ...**(व्यवधान)**... प्लीज आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री एम वेंकैया नायडु (कर्णाटक) : इसके बारे में सभी ने दिल तो दिखाया लेकिन बिल नहीं दिखाया ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : देखिए, आपने नोटिस दिया है which is against the Ministers. What the rules say is, notice should be sent to the Minister. The notice has been sent to the Minister. Once it is listed...**(Interruptions)**...

SHRI N. JOTHI: We have sent the notice. It has not been responded. ...**(Interruptions)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, Mr. Jothi, Please sit down. You can give the notice. That is individual. You have given a notice to the Chairman. ...**(Interruptions)**...

SHRI N. JOTHI: We have given a notice to the Chairman as well as to Mr. Chidambaram. We have followed the rules.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen. Follow the rules.

SHRI N. JOTHI: We have done both. We have followed all rules.

श्री वीरेन्द्र भाटिया : सर, यह देश के वित्त मंत्री जी के खिलाफ आरोप है, उस पर जांच होनी चाहिए...(व्यवधान)... देश के वित्त मंत्री के खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगाया गया है यह उनकी दिव्यसनीयता पर आरोप है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह सही नहीं है, यह सही नहीं है...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए...(व्यवधान)... आपका गया।...(व्यवधान)... नोटिस देने के बाद डिस्कस करो।...(व्यवधान)... You have given notice. But, it has not been accepted...(Interruptions)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, they should be allowed...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned at forty-one minutes past one of the clock

The House re-assembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

CERTAIN MATTERS PUBLISHED IN THE BOOK TITLED 'VEDANTA'S BILLIONS'

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय।...(व्यवधान)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Has the notice been given, Sir?

श्री अमर सिंह : माननीय उपसभापति महोदय।...(व्यवधान)... माननीय उपसभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सवेरे एक गंभीर मामला उठाया गया है।...(व्यवधान)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Has the notice been given, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chairman has permitted him. ...(Interruptions)... It has been allowed by the Chairman. ...(Interruptions)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: I just wanted to know whether he has given the notice or not. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am telling you that the Chairman has permitted him. Let us not argue on that. He will make his point just for two-three minutes. I am allowing him.

श्री अमर सिंह : धन्यवाद उपसभापति जी।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप दो-तीन मिनट में समाप्त कर दीजिएगा।